न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 89/2016 G.C.M.S. No : 2016/00294 दर्ज दिनांक :13.10.2016

अपीलार्थिगण

1. मु. मथरा पत्नी स्व. हेमाजी
2. श्रीमती धनकी पुत्री हेमाजी
3. श्रीमती तलसी पुत्री हेमाजी

समस्त जातियान भील (राणा) निवासीगण भागली सिंधलान तहसील व जिला जालोर।

बनाम

प्रत्यर्थिगणः

1. राजस्थान सरकार राज्य जरिये तहसीलदार जालोर

अपील बनाराजगी फैसला बआदेश अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर जालोर बमुकदमा नंबर 25/2014 बअनवान मथरा बनाम राजस्थान सरकार तारीख फैसला 14.07.2015 एवं सपठित धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

उपस्थित–

1. श्री भंवरलाल सोलंकी विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 29.10.2024

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी आहोर के राजस्व वाद संख्या 25/2014 बउनवान मथरा बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 14.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई। अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है–

यह कि अपीलान्ट (वादीगण) संख्या 1 से 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा बाबत खातेदारी हक की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. कास्त अधि. 1955 के तहत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा भागली सिन्धलान तह. व जिला जालोर में स्थित आराजी पुराने खसरा नम्बर 64 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 185 रकबा 2.50 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की आई हैं। हेमीया पुत्र पूनमाजी कौम भील. साकिन भागली सिन्धलान, तह. जालोर का मौके पर विगत 50 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा काश्त था, यानि प्रथम सेटलमेन्ट संवत् 2012 से भी पूर्व का कब्जा काश्त बिना किसी रोक–टोक शान्तिपूर्वक रेस्पोंडेन्ट (प्रतिवादी) की जानकारी में चला आ रहा है। हेमीया पुत्र पूनमाजी, कौम भील_जो अपीलान्ट धनकी व तलसी के पिता थें, जिसका देहान्त हो चुका है। अब उपर वर्णित आराजी पर मौके पर इनके का.मु. वारिसान का कब्जा काश्त है, जिसके चारों तरफ कांटों की बाड व हरे–हरे वृक्ष खड़े हैं। उक्त भूमि पहले बंजड व रेतीली थी, जो हेमीया पुत्र पुनमाजी ने काफी खर्चा कर उपजाउ बनाया है। हेमीया पुत्र पूनमाजी का देहान्त होने से वादीगण का.मु. वारिसान होने से वाद पत्र वादीगण की ओर से दावा बाबत खातेदारी हक की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली केम्प-जालोर

था। उक्त आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 185, रकबा 2.50 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम पर अपीलान्ट (वादी) का मौके पर प्रथम सेटलमेन्ट के समय से कब्जा काश्त है। प्रथम सेटलमेन्ट के समय उक्त आराजी अपीलान्ट्स (वादीगण) के पूर्वज हेमीया पूत्र पुनमाजी कौम भील के नाम सेटलमेन्ट के कर्मचारियों ने नहीं कर राजस्व रेकर्ड में सिवाय चक (सरकारी भूमि) दर्ज कर दी जबकि सेटलमेन्ट के कर्मचारियों को ऐसा करने का अधिकार नहीं था और इसी प्रकार द्वितीय सेटलमेन्ट के भी पूर्व की प्रविष्टियां दोहराते हुए सिवाय चक (सरकारी भूमि) दर्ज कर दी, जबकि अपीलान्ट्स (वादीगण) के विरूद्ध हर वर्ष 91 आर. एल. एक्ट के मुकदमें बन रहे हैं और जुर्माना भी कहीं बार जमा करवा चुका है, जबकि तहसीलदार जी जालौर ने कई बार अपने आदेश में नियमन की सिफारिश भी की जा चुकी है। लेकिन आज तक अपीलान्ट्स (वादीगण) के पक्ष में नियमन होते हुए भी नियमन नहीं कर अपीलान्ट्स (वादीगण) के खाते में दर्ज नहीं की हैं। इस प्रकार अपीलान्ट्स (वादीगण) उक्त भूमि नियमन हेतु एवं अपने नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हेतु अपीलान्ट्स (वादीगण) दावा बाबत खातेदारी हक की डिक्री हेतु अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। अपीलान्ट्स (वादीगण) की खातेदारी आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 186 के लगती हुई भूमि 185 है और बीच में किसी भी प्रकार की माठ या धोरा पाली भी नहीं है। उक्त भूमि से लगती हुई होने से_एवं विगत 50 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा होने से लगती हुई होने से एडवर्स पजेशन के सिद्धान्त के आधार पर भी खातेदारी हक की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। जिस हेतु अपीलान्ट्स (वादीगण) खातेदारी हक की डिक्री प्राप्त करने हेतु दावा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। उक्त आराजी के वर्तमान खसरा नम्बर 185 रकबा 2.50 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम पर अपीलान्ट्स (वादीगण) के पूर्वज हेमीया पुत्र पूनमाजी कौम भील का मौके पर कब्जा कास्त सवत् 2012 से भी पहले से हैं और अपीलान्ट्स (वादीगण) की खातेदारी खेत ख.नं. 186 से लगती हुई है और बीच में किसी भी प्रकार की माठ भी नहीं है। प्रथम सेटलमेन्ट में अपीलान्ट्स (वादीगण) के पूर्वज हेमीया पुत्र पुनमाजी भील के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होनी चाहिये थीं और द्वितीय सेटलमेन्ट में भी अपीलान्ट्स (वादीगण) के नाम दर्ज नहीं हुई और सिवायचक (सरकारी भूमि) दर्ज की। अपीलान्ट्स (वादीगण) के विरूद्ध प्रतिवर्ष का आर.एल. एक्ट के मुकदमे भी चले, जिसमें अपीलान्ट्स (वादीगण) के पक्ष में कई बार नियमन के आदेश भी हुए, लेकिन आज दिन तक उक्त भूमि नियमन नहीं की जाकर सिवायचक (सरकारी भूमि) ही दर्ज रहीं। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट्स (वादीगण) दावा बाबत खातेदारी हक की घोषणा हेतु दावा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था कि उक्त भूमि ख.नं. 185 रकबा 2.50 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम का खातेदार कृषक अपीलान्ट्स (वादीगण) को घोषित किया जावें एवं अपीलान्ट्स (वादीगण) के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावें। जिस पर अपीलान्ट का वाद दर्जकर वास्ते प्रतिवादी (रेस्पोडेन्ट) को तलब किया गया और तारीख पेशी 04/08/2015 को निहित की गई। तत्पश्चात ग्राम पंचायत भागली सिंधलान में लोक अदालत केम्प में दिनांक 14/07/2015 को पत्रावली रखकर वादीगण (अपीलान्ट) को अतिक्रमी मानकर वादग्रस्त आराजी का वाद खारिज कर दिया। राज्य सरकार के आदेशानुसार आपसी सहमति से, दोनों पक्षों की मौजूदगी में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-जालोर

लोक अदालत की भावना से राजीनामा के जरिये वाद का निस्तारण किया जाना था, लेकिन विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में व अपीलान्ट को बिना नोटिस, बिना सुनवाई का अवसर देते हुये अपीलान्ट (वादी) का वाद खारिज किया है। राज्य सरकार के परिपत्र सं.प. /6/7/210/4–77 दिनांक 11/02/2008 के अनुसार दिनांक 01/01/2000 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि सन् 2000 से किसी भी अतिक्रमी का कब्जा लगातार चला आ रहा है तो उसे नियमन कर खातेदारी अधिकार प्रदान करावें। इस परिपत्र का ध्यान नहीं रखकर वादी का वाद खारिज करने में कानूनी एवं वाक्याती भारी भूल की है। जिसे हर सूरत में निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय को अपास्त कराते हुए पत्रावली पुनः रिमांड की जावें। अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलांट को अपने वकील साहब के मार्फत आगामी तारीख पेशी की जानकारी मांगने पर दिनांक 02.08.2016 को रीडर साहब से पेशी मांगने पर हुई कि आपका वाद दिनांक 14.07.2015 को ही खारिज हो गया था। तब इसी दिन निर्णय की प्रति हेतु आवेदन किया जो दिनांक 05.08.2016 को नकल प्राप्त करने पर जानकारी हुई। अतः विलंबकाल को माफ करते हुए अपील अंदर म्याद शुमार फरमावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर उस पर मनन किया। पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 परिसीमा अधिनियम प्रार्थना पत्र के अनुसार अपीलाधीन निर्णय जो दिनांक 14.07.2015 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का वादपत्र खारिज किया था, कि जानकारी दिनांक 02.08.2016 को होने से अपील में विलंब होना अंकित किया है। चूंकि प्रकरण का निर्णयन तकनीकी आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण के पर किया जाना चाहिए। अतः विलंबकाल को माफ करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

1. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत किया, जो दिनांक 21.04.2014 को दर्ज किया जाकर दिनांक 12.05.2015 की आदेशिका अनुसार प्रतिवादी सरकारी पैरोकार के जवाबदावा में लंबित था, जो आगामी दिनांक 04.08.2015 को नियत किया गया। तत्पश्चात आदेशिका दिनांक 14.07.2015 के अंकन अनुसार उक्त दिनांक को प्रकरण लोक अदालत बमुकाम भागली सिंधलान में पेश किया जाकर प्रतिवादी का जवाबदावा लिए बिना, प्रकरण में विवाद्यक कायम किए बिना, उभयपक्ष की साक्ष्य लिए बिना उभयपक्ष द्वारा किसी प्रकार का राजीनामा प्रस्तुत किए जाने का अंकन किए बिना प्रकरण खारिज कर दिया गया।

2. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर.सी.आर. सिविल 2006 (4) पेज 947 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20 के अंतर्गत लोक अदालत के द्वारा मुकदमों के निस्तारण की शक्तियों के संबंध में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है– "

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-बालोतरा

No Order can be passed by Lok Adalat if no compromised or settlement of could at between Parties." इस प्रकार यह सुविस्थापित प्रावधान है कि पक्षकारों के मध्य बिना सहमति हुए एवं बिना राजीनामा हुए किसी भी प्रकरण को न तो लोक अदालत में रखा जा सकता है एवं न ही लोक अदालत में निर्णित किया जा सकता है, ऐसा किया जाना पक्षकारों के मध्य न्यायिक जबरदस्ती की श्रेणी में आता है, जिसका किसी भी दृष्टि में समर्थन नहीं किया जा सकता है।

3. व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 5 में निम्नानुसार विधिक प्रावधान है– "न्यायालय हरएक विवाद्यक पर अपने विनिश्चय का कथन करेगा– उन वादों में, जिनमें विवाद्यक की विरचना की गई हैं, जब तक कि विवाद्यकों में से किसी एक या अधिक का निष्कर्ष वाद के विनिश्चय के लिए पर्याप्त न हो, न्यायालय हर एक पृथक विवाद्यक पर अपना निष्कर्ष या विनिश्चय उस निमित्त कारणों के सहित देगा।" इस प्रकार यह आज्ञापक विधिक प्रावधान है कि न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रत्येक विवाद्यक पर उपलब्ध साक्ष्य का संगत विधिक प्रावधानों एवं विधिक प्रक्रियागत उपबंधों के परिप्रेक्ष्य में विस्तृत विवेचन करते हुए प्रत्येक विवाद्यक पर स्पष्ट कारण सहित पृथक–पृथक विनिश्चय एवं विनिर्णय करना होता है तथा इसके तत्पश्चात प्रकरण को अंतिम रूप से निर्णित किया जाना होता है। प्रश्नगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवाद्यक तो विरचित किए गए हैं लेकिन विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में न तो किसी भी पक्ष से साक्ष्य ली गई हैं न ही किसी पक्ष को अपना पक्ष साबित करने या बचाव करने का कोई अवसर दिया गया है तथा न ही विवाद्यकवार पृथक–पृथक विवेचन एवं निर्णयन किया गया है। यदि बावजूद सूचना के पक्षकार/पैरोकार उपस्थित नहीं होते हैं तो प्रकरण अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जा सकता है, लेकिन किसी भी दृष्टि से गुणावगुण के आधार पर निर्णयन नहीं किया जा सकता। अतः यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत निर्णय लोक अदालत के अंतर्गत नहीं कर कैम्प कोर्ट के रूप में भी किया गया है तो भी उक्त निर्णय का समर्थन एवं पुष्टि नहीं की जा सकती।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट सारवान है तथा अपीलांट द्वारा इसे बखूबी साबित किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते समय विधिक प्रक्रिया एवं विधिक प्रावधानों का अनुशीलन नहीं कर भूल की हैं, ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त करते हुए प्रकरण निर्देश के साथ अधीनस्थ विचारण न्यायालय को पुनः निर्णयन हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध रेस्पोंडेन्ट बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 25/2014 बअनवान मु. मथरा बनाम राजस्थान सरकार अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.07.2015

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में प्रतिवादी राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार जालोर से वादपत्र के पैरावार जवाबदावा लिया जाकर प्रकरण में विवाद्यक विरचित कर उभयपक्ष की साक्ष्य ली जाकर प्रकरण में विवाद्यकवार विवेचन एवं निर्णयन करते हुए प्रकरण में विधिनुरूप पुनः निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्ता/पैरोकार पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.11.2024 को जरिये असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली